जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 17-11-2021**

आज दिनांक 17.11.2021 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री राजेश मोदक** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

थाना महुली पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाइसेंसी 12 बोर दो नाली बंदूक, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री राम प्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत **प्रभारी निरीक्षक महुली श्री रणविजय सिंह** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 327 / 2021 धारा 307 / 504 / 504 / 352 भादवि में वांछित अभियुक्त सत्यनरायण राय पुत्र स्व0 रामसमुझ राय थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया

विदित हो कि दिनांक 16.11.2021 को मकान की रंजिश को लेकर वादी के पुत्र शशांक राय व वादी की पत्नी अनुराधा देवी खुद को प्रतिवादी द्वारा गाली दिए जाने से मना करने पर अभियुक्त द्वारा अपने लाइसेंसी दो नाली बंदूक से जान से मारने की नियत से उस पर फायर कर दिया गया था जिस घटना की सूचना पर तत्काल थाना महुली पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 17.11.2021 को थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाइसेंसी 12 बोर दो नाली बंदूक, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। **बरामदगी का विवरण-**
घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाइसेंसी 12 बोर दो नाली बंदूक, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण –

प्रभारी चौकी कालीजगदीशपुर उ0नि0 श्री रमजान अली अंसारी, कां0 शरद राय।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल **श्री अम्बरीश भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 86 / 21 धारा 376 / 147 / 323 / 504 / 506 भा0द0वि0 मे वांछित अभियुक्त नाम पता सिकन्दर वर्मा पुत्र हरिराम वर्मा निवासी धर्मसिंहवा थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, वादिनी द्वारा शादी करने की बात कहने पर शादी से मुकर जाना तथा वादिनी के साथ मारपीट करते हुए उसे जानमाल की धमकी दिया गया था जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा दिनांक 14.11.2021 को थाना धर्मसिंहवा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 17.11.2021 को थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार यादव, का0 अनिल कुमार वर्मा, का0 महेन्द्र निषाद।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा दविश के दौरान 04 वारण्टी गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा दविश के दौरान 01 नफर वारण्टी नाम पता जय सिंह पुत्र उदयराज निवासी सरैया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री भवनाथ सिंह मय हमराह।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा दविश के दौरान 01 नफर वारण्टी नाम पता श्यामदेव उर्फ रामदेव पुत्र रामविलास निवासी पक्का पोखरा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री लालजी यादव मय हमराह।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा दविश के दौरान 02 नफर वारण्टी नाम पता 1- फूल बदन पुत्र इन्द्राज 2 – इन्द्राज पुत्र राजेन्द्र निवासीगण मलौली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रमेश यादव मय हमराह कां0 बलवंत चौधरी, कां0 सत्यप्रकाश।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 28 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 12 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा दुर्घटना में घायल महिला को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1483 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मगहर से इवेन्ट संख्या 03946 से कालर ने मार्ग दुर्घटना मे एक महिला (लक्ष्मी पत्नी सदानन्द निवासी ग्राम बरगदवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 01 मिनट में दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर दुर्घटना मे घायल हुई महिला को पीआरवी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया तथा दुर्घटना के संबंध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना मे घायल महिला को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचायी गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – उ0नि0 श्री राधिका प्रसाद, आरक्षी त्रिभुवन यादव, हो0चा0 राकेश पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 186 वाहनों से 157000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.11.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 186 वाहनों से 157000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।